

आदेश ब इजलासा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 81/2024 (धारा 14 शिक्योरिटाईजेशन)

शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता- डी-505, गूतल, सर्वेदया एनक्लेव,
नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री योगेश सेन,
पता:- प्लॉट नं. 81-ए, झूलेलाल कॉलोनी, नायला रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।
2. श्री संतोष सेन,
पता:- एसएमएस हॉस्पिटल के सामने, विवेकानन्द मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
एवं प्लॉट नं. 81-ए, झूलेलाल कॉलोनी, नायला रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।
3. श्री भानू कुमार सेन,
पता:- एसएमएस हॉस्पिटल के सामने, विवेकानन्द मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
एवं प्लॉट नं. 81-ए, झूलेलाल कॉलोनी, नायला रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।
4. श्री चमन सेन,
पता:- धूलेश्वर गार्डन, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
एवं प्लॉट नं. 81-ए, झूलेलाल कॉलोनी, नायला रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 26.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिमूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती संतोष सैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 81-ए, स्कीम झूलेलाल कॉलोनी, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, क्षेत्रफल 104.45 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 31.07.2017 एवं 31.01.2022 को कुल राशि 16,45,260/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मलीमाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को राशि 16,45,260/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 15,47,693/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.09.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती संतोष सैन के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 81-ए, स्कीम झूलेलाल कॉलोनी, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, क्षेत्रफल 104.45 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेश करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।
5. आदेश आज दिनांक 26.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



५५
 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर